अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी,अरवल ।

वाद सं0- 322/ 2012,धारा-बिहार बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट

राजेन्द्र प्रसाद बनाम सिकन्दर पासवान वगैरह

18/12/12

आ दे श

प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर खाता सं0-61, प्लॉट सं0- 591, रकबा- $3\frac{2}{3}$ डी0 ईंट एवं खड़ानुमा चार कमरा एवं चौहद्दी उ0- मानिक चमार, द0- शीतल यादव, पू0- दुर्गा कहार एवं प0- सुखु दुसाध , मौजा- सिपाह, थाना + जिला- अरवल की भूमि पर प्रारम्भ किया गया है।

प्रथम पक्ष अपने आवेदन में कहते हैं कि उक्त खाता- प्लॉट की भूमि पर विपक्षी तीन साल से किरायेदार के रूप में रहते हैं । तथा असामाजिक तत्वों के साथ सॉठ-गॉठ करके

443 ... 5/1/13

632 04/02/13

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवा के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

किराया देना बन्द कर दिये तथा मकान भी खाली नहीं कर रहे हैं। खाली करने को कहा जाता है तो जान मारने की धमकी दिया जाता है ।

प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त भवन एवं भूमि आवेदक के नाम खरीदगी है जो वर्ष 1967 है। प्रथम पक्ष अपने लिखित बहस में कहते हैं कि द्वितीय पक्ष के द्वारा सन्दर्भित भूमि का किसी प्रकार का वांछित कागजात एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। एवं अभिलेख में उचित पैरवी भी नहीं किया गया ।

द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए और कारण-पृच्छा समर्पित किये। कारण पृच्छा में कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि अपने नाना-नानी के मकान में 60 वर्षों से मेरे पिताजी रहते चले आ रहे हैं और अब मैं भी उसी

.श की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

मकान में रह रहा हूँ और प्रथम पक्ष कहते हैं कि विपक्षी किराये के मकानमें रह रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है , मेरे नाना को मात्र दो पुत्री हीं थी , पुत्र नहीं था। और नाना कहीं चले गये, ऐसी अवस्था में मेरी माँ बड़ी थी तो मेरी माँ यहीं रहने लगी और मेरी माँ की शादी भी यहीं हुआ ।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त जमीन पर मेरे पिताजी- रामाधार पासवान के नाम पर वर्ष- 1986- 87 में अंचल-कार्यालय से इन्दिरा आवास भी बना हुआ है एवं मेरे भाई की पत्नी- सूर्यमनी देवी, पति- सिकन्दर पासवान के नाम पर भी वर्ष-2002-2003 में इन्दिरा आवास मिला है।.. .... में बी॰पी॰एल॰ सूची अनुसार बना हुआ है तथा मेरी पत्नी- प्रमीला देवी, पति- दिलीप कुमार के नाम से भी 2004-05 में इन्दिरा

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कर५. के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

आवास बना हुआ है । तथा चौकीदारी रसीद भी मेरे पिताजी- रामाधार पासवान के नाम 1982 से हीं कटता चला आ रहा है। तथा उक्त जमीन मेरे नाना के पिताजी के नाम पर आज भी जमीन अंकित है और उक्त जमीन मेरे नाना- देवनन्दन दुसाध के नाम पर नोटिस भी जारी किया गया है।

अत: उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख स्थित कागजातों के अवलोकनोपरान्त प्रथम पक्ष का यह कहना कि उक्त भूमि में बना मकान मेरा है और द्वितीय पक्ष किराया पर रहते हैं, वह बिल्कुल गलत है। इस सम्बंध में प्रथम पक्ष किसी प्रकार का कागजात न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराये हैं । लेकिन द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त मकान से सम्बंधित चौकीदारी रसीद ,फारम-10§ धारा-10§1§ § के अधीन नोटिस का फारम जो देवनन्दन दुसाध के नाम

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	-5-	
	निर्गत है की छाया प्रति तथा संघ पर्षद अरवल एवं अरवल यूनियन बोर्ड का चौकीदारी टैक्स की छाया प्रति प्रस्तुत किये हैं । अगर उक्त भूमि प्रथम पक्ष की होती तो वे अपने कागजी साक्ष्य के रूप में कागजात प्रस्तुत करते, लेकिन यह प्रथम पक्ष नहीं दाखिल कर सके । फारम-10 पर देवनन्दन दुसाध का नाम अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त खाता-प्लॉट की भूमि द्वितीय पक्ष का हीं है और चौकी-दारी रसीद रामाधार पासवान के नाम से निर्गत है। जो स्पष्ट करता है कि द्वितीय पक्ष नाना के बाद प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष के पिता का हक बना और अब द्वितीय पक्ष का हक बनता है। अगर उक्त भूमि द्वितीय पक्ष की नहीं होती तो बिहार होल्डिंग समेकन तथा खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 की धारा-9 के अधीन देवनन्दन दुसाध के नाम	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

नोटिस नहीं निर्गत किया जाता। ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण उक्त खाता-प्लॉट की भूमि इनकी न होने की पुष्टि करता है । तथा उक्त वाद की कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।क्योंकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि से संबंधित कागज अपने होने के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । ऐसी स्थिति में उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश से विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

अरवल
अरवल ।

अरवल
अरवल ।